

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।  
सम्बद्धत विषय पर यहि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमाक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्रन : घूमीवर्टिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2013/ ३२३

दिनांकः २४/५/१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विवेकानन्द कॉलेज, दर्पण कॉलोनी, वटीपुर, ग्वालियर (8109744162) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.सी.-प्रथम आ.पा., रसायन, जन्म विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अति. विषय- कम्प्यूटर साइंस, बी.कॉर्म प्रथम- प्लेब/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.बी.ए. प्रथम, बी.सी.ए. प्रथम पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. डॉ. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जी.वि.वि., ग्वालियर
2. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव, आचार्य, रसायन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
3. डॉ. अविनाश तिवारी, आचार्य, वनस्पति अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
4. डॉ. पी.के. गुप्ता, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वा.
5. डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.

(संयोजक) (9425364178)

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणि

क ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा ग्राह्यशैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 तिथ्मवर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वाया 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाया दी जावे गाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संभंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शामा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / बी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वाया देय होगा।

### प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)